

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक:- स्थापना/सैटअप/सामान्य/17/३८३८५-५१५

दिनांक :- 27/12/17

- उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
- वित्तीय सलाहकार महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
- समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक केन्द्रीय/जिला कारागृह राजस्थान,
- प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
- अधीक्षक उच्च सुरक्षा कारागार अजमेर।
- उपाधीक्षक महिला बंदी सुधार गृह, जयपुर।
- समस्त प्रभारी उप कारागृह राजस्थान।

विषय:- सरकारी विभागों के लेटर पैड पर पं. दीनदयाल

उपाध्याय का लोगो का प्रयोग/मुद्रण करने के संबंध में।

प्रसंग:- मुद्रण एवं लेख सामग्री विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(1)मु.ले.सा./2017. दिनांक 11.12.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक परिपत्र की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त राजकीय विभागों, निगमों, बोर्ड एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उपयोग में लिये जा रहे लेटर पैड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के उपयुक्त आकार के लोगो का (Logo) प्रयोग किया जावेगा के निर्देश दिये गये हैं कि प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय

अधीक्षक

महानिदेशालय कारागार

राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख शासन सचिव, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प.3(1)मु.ले.सा./2017 दिनांक 11.12.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- अधीक्षक महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर
- अति.निजी सचिव, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
- समस्त शाखा प्रभारी महानिदेशालय कारागार जयपुर को परिपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- प्रभारी, कम्प्युटर लैब मुख्यालय कारागार राजस्थान, जयपुर को विभागीय वैब साईट पर अपलोड हेतु।

अधीक्षक

महानिदेशालय कारागार

राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग

जयपुर दिनांक:- 11.12.2017

क्रमांक:- प.3(1)मू.ले.सा./2017

परिपत्र

IMMEDIATE

समस्त अति मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव  
समस्त विभागाध्यक्ष (राजभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)

विषय— सरकारी विभागों के लेटर पैड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय का  
लोगो का प्रयोग/मुद्रण करने के संबंध में

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के समस्त राजकीय  
विभागों, निगमों, बोर्ड एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में उपयोग में लिये जा रहे लेटर पैड  
पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के लोगो का (Logo) प्रयोग किया जावेगा।

वर्तमान में छपे हुए लेटर पैड पर पं. दीनदयाल उपाध्याय के लोगो (Logo) का  
उपयुक्त आकार का स्टीकर लगा कर और भविष्य में छपने वाले लेटर पैड पर पं.  
दीनदयाल उपाध्याय के उपयुक्त आकार के लोगो (Logo) का मुद्रण करवा कर ही  
उपयोग में लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। लोगो का प्रतिरूप (Sample) संलग्न  
प्रेषित है।

उमी  
(पवन कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा. मंत्री/राज्य मंत्री
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. अध्यक्ष/सचिव, समस्त निगम एवं बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थाएं, राजस्थान सरकार
6. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
7. राजित पत्रावर्ती

शक्ति सिंह राठौड़  
संयुक्त शासन सचिव



2